



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 5547/अका./का.प./2017

रायपुर, दिनांक : 2 / 1 / 2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की पैंतीसवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 27.12.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य | 7. डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य |
| 2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य | 8. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर – सदस्य |
| 3. डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य | 9. डॉ. डी.एन. वर्मा – सदस्य |
| 4. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य | 10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता – सदस्य |
| 5. डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य | 11. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य |
| 6. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे – सदस्य | |

डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक दिनांक 16.10.2017 में लिये गये निर्णय में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13(2)(i) में निहित प्रावधानानुसार कुलपति चयन हेतु सदस्य के 'मनोनयन' के स्थान पर 'निर्वाचित' किये जाने की सम्पुष्टि की गई। कार्यपरिषद् की बैठकों दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017, 16.10.2017 एवं 28.11.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2017 के कार्यवृत्त का इस शर्त के साथ कि पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा किये जाने के साथ अनुमोदन किया गया।

Handwritten mark

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

5. पूरक परीक्षा अक्टूबर (अक्टूबर-नवम्बर) 2017 हेतु 44 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम राशि रु. 8,80,000=00 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) भुगतान की अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : पूरक परीक्षा अक्टूबर (अक्टूबर-नवम्बर) 2017 हेतु 44 परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा अग्रिम राशि रु. 8,80,000=00 (आठ लाख अस्सी हजार रुपये) भुगतान की अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।
6. डॉ. अब्दुल अलीम खान, सेवानिवृत्त आचार्य, विधि अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00 (चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : डॉ. अब्दुल अलीम खान, सेवानिवृत्त आचार्य, विधि अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपये 14,73,584.00 (चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ चौरासी रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
भविष्य में शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का अविलंब भुगतान कर, कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
7. विभिन्न समितियों में मनोनीत विषय विशेषज्ञों को 1000=00 सीटिंग फीस प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विभिन्न समितियों में मनोनीत विषय विशेषज्ञों को 1000=00 सीटिंग फीस प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

8. (i) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत शैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र क्रमांक 3-9/2017/38-2 दिनांक 11.10.2017 के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत 10 शैक्षणिक (1 एसोसिएट प्रोफेसर + 9 असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों की वचनबद्धता इस शर्त पर सहमति प्रदान की गई है कि इन पदों पर योजना समाप्ति के उपरांत आने वाले व्यय को विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा। सूचना ग्रहण की गई।
- (ii) मूल विज्ञान केन्द्र के लिये स्वीकृत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2017/38-2 दिनांक 6 नवंबर 2017 के द्वारा कुल 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। शैक्षणिक के 16 पद (प्रोफेसर-4, सह प्राध्यापक-4, सहायक प्राध्यापक-8) एवं अशैक्षणिक के 7 पद की सूचना ग्रहण की गई।
- (iii) गुरु घासीदास शोधपीठ के लिये स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक 19-19/2017/38-2 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित गुरु घासीदास शोध पीठ हेतु 3 पदों की सृजन (अध्यक्ष-1 पद, सहायक ग्रेड 3- 1 पद, भृत्य-1 पद कुल 03 पद) की स्वीकृति का सूचना ग्रहण की गई।



9. सुश्री माण्डवी साहू, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के त्याग पत्र पर विचार करना।
निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का त्यागपत्र दिनांक 03.11.2017 से स्वीकार किया जाता है तथा नियमानुसार 03 माह का वेतन विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक से 15 दिनों के अंदर तक जमा करने हेतु पत्र लिखा जाये अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उनको देय स्वत्वों से तीन माह का वेतन का समायोजन कर लिया जाए।
10. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त निम्न वर्ग लिपिक के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा, बर्खास्त निम्न वर्ग लिपिक के प्रकरण पर विचार किया गया, कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा विशेष ऑडिट कराई जा रही है। विशेष ऑडिट की प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
11. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक, प्रौढ़ शिक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना ग्रहण कर, उनके दायित्वों का भुगतान किये जाने पर विचार करना।
निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक, प्रौढ़ शिक्षा के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना ग्रहण की गई तथा प्रकरण पर विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार से अभिमत प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।
12. श्री चन्द्र प्रकाश राठौर, ग्रेड-3 का वेतनमान संशोधन के संबंध में।
निर्णय : उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर के पत्र क्रमांक DDAR/3/सत्यापन/20152273 दिनांक 09.10.2017 के आधार पर श्री चन्द्र प्रकाश राठौर, ग्रेड-3 का वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900 के स्थान पर वेतनमान 5200-20200+ग्रेड वेतन 2400 संशोधन हेतु कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

पुनर्मूल्यांकन एवं गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

13. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 के निर्णयानुसार पुनः पुनर्मूल्यांकन (Pannel Valuation) के पश्चात् अपीलीय निकाय हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क, विषय-विशेषज्ञों के मानदेय, आवेदन पत्र तथा रिपोर्ट के लिये प्रारूप पर विचार करना।
निर्णय : पुनः पुनर्मूल्यांकन (Pannel Valuation) के पश्चात् अपीलीय निकाय हेतु 1500/- प्रति प्रश्नपत्र शुल्क का निर्धारण किया गया एवं आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्देशों का अनुमोदन किया गया।



14. पुनर्मूल्यांकन समन्वयक के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : दिनांक 24.08.2017 को सम्पन्न कार्यपरिषद् की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डॉ. व्यास नारायण दुबे, समन्वयक, पुनर्मूल्यांकन को दिनांक 25.08.2017 को निलंबित किया गया तथा दिनांक 05.10.2017 को आरोप पत्र सौंपा गया।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 के द्वारा पुनर्मूल्यांकन समन्वयक के लिये गठित जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 13.09.2017 को विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग को जमा कर दी गई थी। इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुति मानते हुए एवं रिपोर्ट के अंतिम पैरा जो कि इस प्रकार है—

“समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पुनर्मूल्यांकन कार्य में भारी पैमाने में गड़बड़ी हुई एवं भुगतान फर्जी प्रतीत होते हैं। इसे देखते हुए समिति अनुशंसा करती है कि पुनर्मूल्यांकन कार्य के प्रभारी समन्वयक डॉ. व्यास नारायण दुबे, एवं सहायक समन्वयक डॉ. शिबानी बासु (जबलपुर) के विरुद्ध विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाए।”

का अनुमोदन कर तदनुसार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिनांक 05.10.2017 को जारी आरोप पत्र को आधार मानकर, एक सदस्यीय जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं गोपनीय विभाग से प्रस्तुतीकरण अधिकारी मनोनीत करने का निर्णय लिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में श्री मोहन पवार, आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने एवं गोपनीय विभाग से श्री के.एस. कश्यप को प्रस्तुतीकरण अधिकारी, मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव:—

15. बी.ए. एवं एम.ए. के अंक सूची एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु श्री कमलेश कुमार साहू के आवेदन दिनांक 30.10.2017 पर विचार करना।

निर्णय : बी.ए. एवं एम.ए. के अंक सूची एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु श्री कमलेश कुमार साहू के आवेदन दिनांक 30.10.2017 को अमान्य किया गया। भविष्य में ऐसे प्रकरण की बगैर पूर्व परीक्षण के प्रस्तुत न किया जाए।

16. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक 8 उपाधि वितरण की योजना के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में किये गये निर्णय के प्रस्ताव क्रमांक 8 उपाधि वितरण की योजना के संबंध में इस हेतु अगली समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

17. सत्र 2017-18 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सत्र 2017-18 के लिये (सेमेस्टर एवं वार्षिक) परीक्षा केन्द्रों की सूची का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण की गई।

कम्प्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव:-

18. PRSU Servers and Antivirus Server (400 Users) की मौजूदा वार्षिक रख-रखाव को आगामी 3 माह नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल राशि रूपए 1,63,425=00 (सभी करों सहित एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रूपए) बढ़ाये जाने पर विचार करना।
निर्णय : PRSU Servers की मौजूदा वार्षिक रख-रखाव को आगामी 3 माह नवम्बर, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक कुल राशि रूपए 1,63,425=00 (सभी करों सहित एक लाख तिरसठ हजार चार सौ पच्चीस रूपए) बढ़ाये जाने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

19. वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 11,57,064=00 M/S. Learning Spiral PVT. LTD Kolkata को भुगातन की स्वीकृति बाबत।
निर्णय : वर्ष 2017 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य देयक राशि रु. 11,57,064=00 M/S. Learning Spiral PVT. LTD Kolkata को भुगातन की स्वीकृति दी गई तथा इस बाबत पूर्ण विवरण अगली बैठक में रखने हेतु आदेशित किया गया।
20. सेमेस्टर परीक्षा हेतु 2 लाख उत्तर पुस्तिका OMR Sheet सहित संवाद से निम्नलिखित दर पर कार्य संपादित कराने हेतु स्वीकृति के संबंध में –
32 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका— रु. 6.743/-
OMR Sheet — रु. 0.66/-
निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा हेतु 2 लाख उत्तर पुस्तिका OMR Sheet सहित संवाद से निम्नलिखित दर पर कार्य संपादित कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई—
32 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका— रु. 6.743/-
OMR Sheet — रु. 0.66/-

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

21. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।
निर्णय : महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर में प्राचार्य पद हेतु डॉ. (श्रीमती) सोनाली एन. चन्नावार की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।



यांत्रिकी विभाग से संबंधित प्रस्ताव:-

22. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 30.10.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2017 में Institute of Eminence के लिये यू.जी.सी. नई दिल्ली को 1 करोड़ आवेदन शुल्क आवेदन हेतु सहमति प्रदान की गई। जिसके अनुसार Institute of Eminence के आवेदन शुल्क राशि रु. 1 करोड़ (एक करोड़) आवेदन के साथ Proposal for Institute of Eminence की एक प्रति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक R/Q1/2017 दिनांक 09.12.2017 The Secretary Department of Higher Education, MHRD ICR Division Shastri Bhawan, New Delhi-110001 को प्रेषित की गई आवेदन का अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2017 में Institute of Eminence के लिये यू.जी.सी. नई दिल्ली को 1 करोड़ आवेदन शुल्क आवेदन हेतु सहमति प्रदान की गई। जिसके अनुसार Institute of Eminence के आवेदन शुल्क राशि रु. 1 करोड़ (एक करोड़) आवेदन के साथ Proposal for Institute of Eminence की एक प्रति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक R/Q1/2017 दिनांक 09.12.2017 The Secretary Department of Higher Education, MHRD ICR Division Shastri Bhawan, New Delhi-110001 को प्रेषित की गई आवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

2. माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति में पदेन अध्यक्ष रेक्टर की अनुपस्थिति में कार्यपरिषद् द्वारा 01 सदस्य का मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय : माँ बंजारी देवी ट्रस्ट समिति के लिए विनियम का अनुमोदन करते हुए पदेन उपाध्यक्ष रेक्टर नहीं होने के कारण, उपाध्यक्ष पद पर कार्यपरिषद् द्वारा माननीय विधायक श्री नवीन मार्कण्डेय जी का मनोनयन किया गया।

3. सत्र 2017-18 की बजट में सोलर पावर प्लांट सिस्टम के स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये प्रावधानित बजट से विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट हेतु 500 MW, Soler Energy Corporation of India के द्वारा स्थापित किये जाने की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सत्र 2017-18 की बजट में सोलर पावर प्लांट सिस्टम (500 MW) के स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये प्रावधानित बजट से विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लांट की विस्तृत योजना, आगामी कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।




4. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।


निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के न्यायालयीन प्रकरणों की सूचीबद्ध जानकारी आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत की जाए।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 5548 / अका./ का.प./ 2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 2/1/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)